

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 22.09.2016

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing Rule 131 shall be substituted as under:-

"Rule 131 : (1) Every person newly appointed to a service or a post under Government shall at the time of appointment, declare the date of his birth by the Christian era with as far as possible confirmatory documentary evidence such as a Secondary/Higher Secondary School Certificate or Date of Birth certificate issued by School or the competent authority under the Registration of Birth and Death Act, 1969 according to the entry made in their respective records.

(2) When a person who first entered Military employment and is subsequently employed in a civil department, the date of birth for the purpose of the civil employment shall be the date stated by him at the time of attestation.

(3) The actual date determined under sub-clause (1) and (2) of these rules shall be recorded in the history of service, service book, or any other record that may be kept in respect of the Government servant's service under Government and once recorded, it cannot be altered, except in the case of a clerical error.

Note: Heads of Departments, are authorised to exercise this power of alteration in case of clerical error in respect of Non-gazetted Government servants under their control."

2. The existing Rule 132 shall be deleted.

आज्ञा से,
22/9/2016
(रामावतार शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव। 3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी ।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
16. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।


(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR -09/2016)